



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. / 2016 निगरानी

12-3897-II/16

कुमार सिंह
ग्राम पठारीदह, तहसील सरई, जिला
सिंगरौली (म.प्र.)

17-11-16
राजस्व

543
17.11.16

दुष्पत्ति कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेजन्यू बोर्ड
ग्वालियर-3

रामकमल बैसवार पुत्र गुलालमन बैसवार
निवासी— ग्राम पठारीदह, तहसील सरई, जिला
सिंगरौली (म.प्र.) ————— आवेदक

बनाम

- 1— रामगोपाल पनिका पुत्र दयाराम
- 2— शिवचरन पनिका पुत्र विश्वनाथ
- 3— रमाशंकर पनिका पुत्र सम्पत पनिका
- 4— सुखलाल पुत्र बुधई साकेत
- 5— जिवरनिया पति सम्पत पनिका
- 6— दादूलाल पनिका पुत्र रामप्रसाद
- 7— रामचरन पुत्र विश्वनाथ पनिका
- 8— लोलर प्रसाद पुत्र बड़का बैश्य
निवासीगण— ग्राम पठारीदह, तहसील सरई,
जिला सिंगरौली (म.प्र.) ————— अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 (1) म.प्र.भू राजस्व संहिता -1959
(नये संशोधन अधिनियम-2011) विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय
जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 9/बी-121/RCMS/15-16
में पारित आदेश दिनांक 29-9-2016 से परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन—पत्र निम्न लिखित प्रस्तृत हैः—

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(36)

अनुबंध आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/3897/D/16,

शमनम्/२१भ०)५।८८

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
४/१११९	<p>आवेदक की ओर से श्रीद्वार्यन कुमार सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिलासिंगरारेनी के प्रकरण क्रमांक ०९/B-121/RCMS/५-१६ में पारित आदेश दिनांक २९/०९/१६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक २५-०९-२०१८ को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभागरीवाके न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक २३/०५/१९ को संभागीय आयुक्त रीवाके न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	